

आदेश

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-4229, दिनांक-23.05.2017 तदनुसार पुलिस मुख्यालय के ज्ञापक-6860/पी03, दिनांक-13.06.2017 के आलोक में पुलिस मुख्यालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु केंद्रीय अनुकंपा समिति की बैठक दिनांक-29.05.2018 को आयोजित किया गया। उक्त बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नलिखित प्रस्तावों को सिपाही/वर्ग-घ के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जाता है :-

क्र 0 सं 0	आश्रित का नाम/संबंध/कोटि	मृत पदा0/कर्मी नाम/पदनाम/अंतिम पदस्थापन/मृत्यु का कारण	सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि/आवेदन की तिथि	नियुक्ति हेतु पद का नाम	पिता/पति की मृत्यु की तिथि को आवेदक/आवेदिका की उम्र/शारीरिक माप	नियुक्ति हेतु कार्यालय का नाम	समिति का निर्णय	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजन कुमार सिंह/पुत्र/अना0	स्व0 प्रमोद कुमार सिंह/स0अ0नि0/विशेष शाखा/बीमारी	21.03.17 13.10.17	सिपाही	उम्र 28 वर्ष 02 माह 21 दिन/ ऊँचाई-173 से0मी0/सीना-101-107 से0मी0	-	अनुशंसित (आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु कॉलम-9 के अनुसार सक्षम प्राधिकार से वांछित मार्जन प्राप्त करने के उपरांत ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाय तथा नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाय तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।)	उम्र में 3 वर्ष 02 माह 21 दिन मार्जन की आवश्यकता।
2	राज रौशन/पुत्र/अना0	स्व0 प्रमोद कुमार/स0अ0नि0/विशेष शाखा/बीमारी	17.01.17 12.04.17	वर्ग-घ	उम्र 35 वर्ष 03 माह 12 दिन/ ऊँचाई-164.5 से0मी0/सीना-97-104 से0मी0		अनुशंसित (आवेदक को वर्ग-घ के पद पर नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाय तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।)	विशेष शाखा में वर्ग-घ की रिक्ति नहीं है तथा आवेदक का किसी अन्य कार्यालय हेतु आवेदन अप्राप्त है। आवेदक का स्वेच्छा प्राप्त होने पर पदस्थापन किया जायेगा।
3	देवेन्द्र कुमार/पुत्र/अ0पि0व0	स्व0 चरित्र मंडल/स0अ0नि0/विशेष शाखा/आकस्मिक मृत्यु	15.10.13 13.02.14	सिपाही	उम्र 27 वर्ष 10 माह 14 दिन/ ऊँचाई-164 से0मी0/सीना-97.5-103 से0मी0	-	अनुशंसित (आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु कॉलम-9 के अनुसार सक्षम प्राधिकार से वांछित मार्जन प्राप्त करने के उपरांत ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाय तथा नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाय तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।)	उम्र में 10 माह 14 दिन मार्जन की आवश्यकता।
4	समसाद हुसैन/पुत्र/अ0पि0व0	स्व0 फारुख अली अंसारी/पु0अ0नि0/विशेष शाखा/अचानक मृत्यु	10.04.16 26.07.16	सिपाही	उम्र 19 वर्ष 04 माह 27 दिन/ऊँचाई-167 से0मी0/सीना-85-91 से0मी0	भोजपुर जिला	अनुशंसित (आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाय तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।)	
5	सतोष कुमार/पुत्र/पि0व0	स्व0 हरराम प्रसाद यादव/पु0अ0नि0/एस0टी0एफ0/बीमारी	29.08.17 -	सिपाही	उम्र 34 वर्ष 07 माह 24 दिन/ ऊँचाई-169 से0मी0/सीना-82-88 से0मी0	-	अनुशंसित (आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु कॉलम-9 के अनुसार सक्षम प्राधिकार से वांछित मार्जन प्राप्त करने के उपरांत ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाय तथा नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाय तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।)	उम्र में 07 वर्ष 07 माह 24 दिन मार्जन की आवश्यकता।

6	ममता कुमारी/ पुत्री/ अनाथ	रवो बच्चन प्रसाद राय /सोअओनो /अपओअनुओ चो/बीमारी	16.09.16 28.11.17	सिपाही	उम्र 28 वर्ष 03 माह 06 दिन/ ऊँचाई- 164 सेमी	-	अनुशसित (आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु कोलम-9 के अनुसार सशम प्रधिकार से वांछित मार्जन प्राप्त करने के उपरांत ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाय तथा नियुक्ति के पूर्व आश्रित में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाय तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।)	उम्र में 02 वर्ष 03 माह 06 दिन मार्जन की आवश्यकता।
7	अभिषेक कुमार सिंह /पुत्र/ अनाथ	रवो हरे कृष्ण सिंह/ सोअओनो /आर्थिक अपओ ईओ/ हृदयाघात	07.06.17 -	सिपाही	उम्र 19 वर्ष 04 माह 21 दिन/ ऊँचाई-17 3.8 सेमी/ सीना-81- 86 सेमी	पटना जिला	अनुशसित (आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति के पूर्व आश्रित में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाय तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।)	

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार.

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
अज्ञप्त विहार, पटना।

ज्ञापांक 540/380114/पी0-3

43-38-13-2013

पुलिस महानिदेशक के कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 20-7-2018

प्रतिलिपि :-

1. सभी संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी संबंधित पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
4. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, भोजपुर/एस0टी0एफ0/आर्थिक अपराध इकाई/पुलिस अधीक्षक (अ0), विशेष शाखा/पुलिस अधीक्षक (सी0), अपराध अनुसंधान विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

- अनुरोध है कि नियुक्ति से पूर्व आवेदकों/आवेदिकाओं की जन्मतिथि/शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अन्य आश्रित के सरकारी सेवा में अनियोजन प्रमाण-पत्र का सत्यापन करा लेने के पश्चात सभी प्रकार से भली भाँतिपूर्वक संतुष्ट होने के उपरान्त अनुशसित आवेदकों/आवेदिकाओं की नियुक्ति हेतु नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई की जाय।

- जिस कार्यालय के आवेदकों/आवेदिकाओं को दुसरे कार्यालय में पदस्थापन किया गया है, उस कार्यालय के संबंधित पदाधिकारी से अनुरोध है कि उन आवेदकों/आवेदिकाओं का अन्य सभी कागजात (मूल में) उनके नये पदस्थापन कार्यालय को अविलम्ब भेज दिया जाय।

- संबंधित आवेदकों/आवेदिकाओं का पुलिस मुख्यालय में रक्षित सभी मूल कागजात उनके पदस्थापन कार्यालय को भेजी जा रही है।

आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

C. N. 10 - 2/6670/18
20-7-2018